




XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 3895-पीबीआर/12

जिला - विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16.4.15	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया .। अभिलेख से स्पष्ट है कि यह प्रकरण राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत दिए गए पट्टे से संबंधित है । अपर कलेक्टर द्वारा भी राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 4 क्रमांक 3 की कंडिका 30 के तहत आदेश पारित किया गया है । राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है । अतः यह निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार न होने से निरस्त की जाती है ।</p> <p>2/ उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख वापिस हों</p>	<p> सदस्य</p>



न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर शिविर, भोपाल
प्र०कं० : निगरानी..... / 12 विदिशा

1-11-12

जवाहर सिंह पुत्र स्व०श्री शोभाराम,
निवासी-ग्राम पुरागुसाई, तह०-ग्यारसपुर,
जिला-विदिशा (म०प्र०)

---निगरानीकर्ता

विरुद्ध

- (1) म०प्र० शासन द्वारा जिलाध्यक्ष
- (2) चैनसिंह पुत्र स्व०श्री शोभाराम
निवासी-ग्राम पुरागुसाई, तह०-ग्यारसपुर
- (3) गजरीबाई पुत्री स्व०श्री शोभाराम
निवासी-ग्राम अंडिया, तह०-ग्यारसपुर
जिला-विदिशा (म०प्र०)
- (4) जसोदाबाई पुत्री स्व०श्री शोभाराम
निवासी-ग्राम बेजाखेड़ा, जिला रायसेन---प्रत्यर्थागण

R-3895-PBR12

श्री गेटवान सिंह
अभिभाषक द्वारा
जाज दिनांक 31-10-12
र. भोपाल कैम्प